राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मध्यप्रदेश

Email ID-hwccellmp@gmail.com

मध्यप्रदेश आरोग्यम

क्रमांक/NHM/HWC/2020/4137

भोपाल, दिनांक 27.02.2020

//आदेश//

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन संचालित सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हैल्थ के जुलाई–दिसम्बर 2019 सत्र के प्रशिक्षणार्थियों की दिनांक 24/02/2020 को आयोजित ऑफलाईन काउंसलिंग के आधार पर प्रस्तुत विकल्प के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख कॉलम न–04 मे दर्शित जिले के उपस्वास्थ्य केन्द्र में आगामी आदेश तक **कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर–प्रशिक्षु (CHO-Intern)** के रूप में अस्थाई पदस्थापना की जाती है।

SN	ROLLNO	NAME	DISTRICT	BLOCK	NAME OF SHC	NIN
1	2	3	4	5	6	7
1	190605433	SUNITA	Dindori	Samnapur	SHC Umariya	3874266335
2	220609908	KALPANA PARMAR	Guna	Raghogarh	SHC-Parkana	6761423885
3	190607453	ABHILASHA JHANIYA	Guna	Raghogarh	SHC-Ramnagar	6846441662
4	190606062	MANJU SOLANKI	Guna	Beenaganj	SHC-Sanai	4818533376
5	190605813	SANGEETA	Dindori	Samnapur	SHC Kanchanpur	7473513484
6	220609733	VANDANA KAWDE	Ashoknagar	Mungawali	SHC-Parkana	3558111146
7	190601766	PRIYANKA KUMARE	Ashoknagar	Mungawali	SHC-Bamori Tanka	8376735638
8	200608031	SONIYA BHURIYA	Ashoknagar	Mungawali	SHC-Dhenkan	2444831826
9	906120309	POOJA BHAWER	Guna	Beenaganj	SHC-Penchi	7386344225
10	200608152	NISHA PARTE	Ashoknagar	Mungawali	SHC-Nadankhedi	7747425424
11	190606917	SEEMA SARYAM	Ashoknagar	Mungawali	SHC-Gaduli	3545373783
12	200608665	KUNTA	Guna	Beenaganj	SHC-Rani Khejra	1851656510
13	190608598	ALKA SARYAM	Ashoknagar	Mungawali	SHC-Birheru	5417874756
14	200608998	SMITA BHABOR	Guna	Beenaganj	SHC-Dehri	1377683287

दिशा–निर्देशः–

1. उक्त तालिका में नामित जुलाई–दिसम्बर 2019 सत्र के प्रशिक्षणार्थी 29/02/2020 तक आवंटित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।
2. प्रशिक्षणार्थियों को कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर कार्य करने हेतु उन्हें आवंटित उपस्वास्थ्य केन्द्र–हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का प्रभार दिया जाना अनिवार्य है। यह कार्यवाही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबधित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर–प्रशिक्षु के ज्वाईन करने के 02 कार्य

दिवसों में पूर्ण करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश को सूचित करेंगें एवं इसकी प्रति ई–मेल द्वारा hwccellmp@gmail.com पर भी प्रेषित करेंगे।

3. यदि प्रशिक्षु कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को आबंटित उपस्वास्थ्य केन्द्र पर पूर्व से कोई CHO कार्यरत है तब भी उल्लेखित आदेश के अंतर्गत प्रशिक्षु कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को आगामी आदेश तक उसी उपस्वास्थ्य केन्द्र पर पदस्थ करने की आवश्यकतानुसार कार्यवाही करते हुये कार्यादेश जारी करें।
4. उक्त कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अनुबंध अनुसार, पदस्थ किये गये हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर में न्यूनतम 3 वर्ष तक कार्य करने हेतु अनुबंधित है, सेवा प्रदाय नहीं किये जाने की स्थिति में राशि रूपये 2.00 लाख अनुबंध अनुसार वसूला जावेगा।
5. कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर–प्रशिक्षुओं (CHO-Interns) को उपस्वास्थ्य केन्द्र पर अस्थाई पदस्थापना के दौरान रू. 15000/– प्रति माह दिया जायेगा।
6. मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों की संविदा पदस्थापना करते हुये नियमानुसार वेतन रू. 25000/– प्रति माह एवं कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि रू. 15000/– प्रति माह प्रदान किया जायेगा।
7. अनुत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को अस्थाई पदस्थापना के दौरान मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिये केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा। तत्पश्चात पुनः अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में नियुक्ति निरस्त करते हुये पूर्व में आवंटित पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त किया जायेगा।
8. मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात पहली बार अनुत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों का उप–स्वास्थ्य केन्द्र अस्थाई पदस्थापना (Provisional Posting) निरंतर रखते हुये पदस्थापना के पश्चात नियमानुसार रू. 15000/– प्रति माह निर्वाह भत्ता प्रदान किया जायेगा।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आदेश जारी होने के उपरांत 7 दिवस में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देना अनिवार्य है अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
10. उपरोक्त कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर–प्रशिक्षु को उप स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी कम्यूनिटी हेल्थ ऑफीसर के रूप में कार्य करने हेतु कार्य दायित्व निर्धारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(डॉ जे. विजय कुमार)
मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/एन.एच.एम./एच.डब्ल्यू.सी/2020/ भोपाल, दिनांक / /2020

प्रतिलिपी :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी – डिंडोरी, गुना एवं अशोकनगर, म.प्र. को इस निर्देश के साथ सूचित किया जाता है कि आपकी संस्था में उपस्थित हुई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर–प्रशिक्षु की जानकारी उन्हे आवंटित उप स्वास्थ्य केन्द्र–हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के नाम सहित तत्काल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।

5. प्रभारी एम.आई.एस.स्थानीय कार्यालय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. स्टेट टीम लीडर, जपाईगो, म0प्र0।
7. संबधित की ओर प्रेषित कर लेख है कि नाम के सम्मुख दर्शाये उपस्वास्थ्य केन्द्र पर नियत तिथि तक उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश